<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.एक्ट, अयोध्या।</u>

उपस्थितः- राकेश कुमार षष्ठम एच.जे.एस.
J.O.CODE- U P 6115
Computer Registration No.-392/2026
CNR No. UPFZ01-001071-2026

सुरेन्द्र गोस्वामी आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र स्व० राम दयाल निवासी ग्राम तोरोमाफी दराबगंज थाना कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य। .....विपक्षी।

मु०अं०संख्या- 102/2020
धारा- 323, 504 भा०द०वि०
व धारा 3(1)द एस.सी.एस.टी एक्ट,
थाना- कोतवाली बीकापुर
जिला- अयोध्या।

<u>जमानत आदेश</u>

(1) आवेदक/अभियुक्त **सुरेन्द्र गोस्वामी** द्वारा मु०अं०संख्या–102/2020, अन्तर्गत धारा– 323, 504 भा०द०वि० व धारा 3(1)द एस.सी.एस.टी एक्ट, थाना– कोतवाली बीकापुर, जनपद– अयोध्या के प्रकरण में जमानत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) जमानत आवेदन पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न दिया गया है न तो विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

(3) आवेदक/अभियुक्त सुरेन्द्र गोस्वामी उक्त अभियोग में आज दिनांक– 11.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर है, अभियुक्त द्वारा आज दिनांक–11.03.2026 को आत्मसमर्पण किया गया है।

(4) संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम आशीष ने थाना बीकापुर पर एक तहरीर इस आशय की दी कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का एक गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी के लड़के को सुनील के लड़के ने मारापीटा है। जिसकी शिकायत करने प्रार्थी दिनांक 28.01.2020 को समय करीब 5 बजे सायं सुनील, सुशील, सुरेन्द्र तथा उनकी पत्नियां एक राय होकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये कहने लगे कि चमार साले हमारे बच्चे की शिकायत करने आये हो यहां से भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे, कहते हुये अमादा फौजदारी हुये। प्रार्थी के विरोध करने पर सभी विपक्षीगण एक साथ होकर प्रार्थी को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालिया देते हये लाठी डंडे कुल्डाही लात मूका थप्पड़ से मारने लगे। प्रार्थी के हल्ला गोहार पर गांव के विजय भारती, राहुल, दयाराम व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गये जिन्होंने घटना देखा बीच बचाव किया तब प्रार्थी– अपने परिवार व गाव के सहयोग से थाने गया जिसका मेडिकल पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कराया और इलाज के लिये जिला चिकित्सा भेज दिया वहां पहुंचकर अपना इलाज कराया।

(5) आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है। रंजिशन झूठे तथ्यों के आधार पर हैरान परेशान करने की नियत से फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 दिन के विलम्ब से कानूनी राय मशविरा लेकर व अनुचित आर्थिक लाभ लेने की मंशा से अंकित करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी द्वारा रंजिशन प्रार्थी व प्रार्थी के भाई सुनील व सुशील कुमार तथा परिवार के महिलाओं को भी हैरान परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गया था। दौरान विवेचना वादी के कथानक को असत्य पाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त के विरूद्ध मामला असत्य होने के कारण अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.03.11 17:31:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं किया गया। सत्यता यह है कि दिनांक 28.01.2020 को समय लगभग 5 बजे सायंकाल उपरोक्त मुकदमे के वादी राम आशीष प्रार्थी के घर में घुस कर प्रार्थी के सगे भाई सुशील गोस्वामी व उसकी पत्नी रूचि गोस्वामी के साथ छेड़खानी करते हुए बलात्कार करने की मंशा से उसके ऊपर हमला कर दिया। गोहार पर प्रार्थी के घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो वह वहां से गाली गुप्ता देते हुए भाग गया। इस संबंध में रूचि गोस्वामी की तहरीर पर थाना कोतवाली बीकापुर में प्रस्तुत मुकदमे के वादी के विरूद्ध अपराध संख्या 101/2020 अन्तर्गत धारा 452, 354, 376, 511 भा०द०वि० में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे से बचने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

(6) वादी मुकदमा को भेजी गई नोटिस जरिये बजात खास तामील है परन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस.सी/एस.टी ऐक्ट) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी के लड़के के साथ मारपीट किया था। जिसकी शिकायत करने गये वादी को आप ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट किया तथा जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। अतः आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

(7) आवेदक ने स्वंय को निर्दोष अभिकथित करते हुए झूंठा फंसाया जाना कहा है। आवेदक आज दिनांक 11.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर था। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया जाना नहीं कहा गया है। एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा 3(1)द को छोड़कर शेष सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय से परीक्षणीय है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के भाई सुशील गोस्वामी की पत्नी रूचि गोस्वामी द्वारा इस मुकदमे के वादी के विरूद्ध अपराध संख्या 101/2020 अन्तर्गत धारा 452, 354, 376, 511 भा०द०वि० में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन का भी ऐसा कोई तर्क नहीं है कि अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने पर उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित किये जाने की संभावना हो।

(8) उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रस्तुत प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुरेन्द्र गोस्वामी** द्वारा मु०अं०संख्या–102/2020, अन्तर्गत धारा– 323, 504 भा०द०वि० व धारा 3(1)द एस.सी.एस.टी एक्ट, थाना–कोतवाली बीकापुर, जनपद– अयोध्या, के अभियोग में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा मु०–25,000/– का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाये। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

(राकेश कुमार षष्ठम)
J.O Code–UP 6115
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी ऐक्ट,
अयोध्या।

दिनांकः–11.03.2026